

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड - हण्डिया  
प्रयागराज-221503

पत्रांक 1276 /वि0वि0ख0हं0प्र0/डी0/टी0 एण्ड सी0/ दिनांक : 12/03/2024

विषय - निजी नलकूप तथा पंखा, बत्ती प्राप्त करने हेतु शर्त एवं दशायें।  
सेवा में,

श्री/श्रीमती मन्जू देवी पिता/पति का नाम- विजय शंकर  
ग्राम- असवांपुर डाकघर- चकमासुम ब्लाक- हण्डिया जनपद- प्रयागराज।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 1008333755 दिनांक: 16/10/2023 के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपको नलकूप के लिए 3 HP (Single Phase) तथा पंखा, बत्ती के लिए वाट की स्वीकृत दिनांक को प्रदान कर दी गई है।

अतः कनेक्शन के सम्बन्ध में आपको निम्नलिखित शर्तों सहित प्रस्तुत किया जाता है।

- सर्विस कनेक्शन चार्ज ₹ 1450.00।
- प्रतिभूति के रूप में निजी नलकूप ₹ 900.00 पंखा बत्ती ₹ 900.00।
- आपको नलकूप के कनेक्शन देने हेतु रुपये का व्यय भार कारपोरेशन को वहन करना होगा, जबकि कारपोरेशन द्वारा इस माह से अगले दस छमाही किस्तों में पाँच वर्षों में 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस कर दिया जायेगा।
- आपको कनेक्शन के लिए कारपोरेशन द्वारा निर्धारित 300 मी0 अधिक लाइन पड़ने के कारण अधिक धन जमा करना होगा जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
- मीटर निरीक्षक शुल्क के शासकीय कोष में 043 विद्युत पर कर एवं शुल्क भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क जमा करना होगा।
- आपको अपने कनेक्शन के लिए 33/11 केवी0 विद्युत संस्थान से अपने वाहन द्वारा सामान की दुलाई करना होगा। सामान दुलाई के साथ कारपोरेशन का चतुर्थ श्रमिक जाएगा तथा शीघ्र की कार्य शुरु कर देगा।
- आपको अपना पम्प बनाने हेतु आवश्यक ईट, बालू तथा सीमेंट का प्रबन्ध करना पड़ता है। अतः उसी में उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा अपनी लाइन व कनेक्शन हेतु भी देय होगी।
- कनेक्शन हेतु लाइन व रोब स्टेशन बनाने में जो मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी उसे भी आपको ही वहन (प्रबन्ध) करना पड़ेगा।

नोट-

- क्रम संख्या 6, 7 तथा 8 के अन्तर्गत आपके द्वारा किये जाने वाले खर्च आपके स्टेटमेंट से कम कर दिया जायेगा/गया है तथा यह शर्त 160.00 रुपये प्रति मीटर की दर से बढ़ा कर के ₹ 205.00 प्रति मीटर की दर से दी गयी है।
- सीमेंट, बालू तथा गिट्टी आवश्यक केवल अन्तिम खम्भे तक एंगिल पोल तथा स्टे के लिए होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित देय होगी-  
प्रति खम्भा सीमेंट 0.85 बोरी बालू 4.05 घन फिट गिट्टी 8.10 घन फिट  
प्रति स्टे सीमेंट 0.35 बोरी बालू 1.85 घन फिट गिट्टी 3.30 घन फिट
- आपके कार्य के लिए मजदूरों की जरूरत होगी यदि आपको ऊपर लिखित शर्तें मान्य हैं तो कृपया किसी कार्य दिवस में 10.00 बजे प्रातः से 13.00 बजे दोपहर तक गवाहों सहित कार्यालय में पधारकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें।
- नान जुडिशियल ₹ 100/- का जन स्टाम्प पेपर, ₹ 1/- रसीदी टिकट एवं बोरिंग प्रमाण पत्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित साथ लाएं।
- ऊपर लिखित धनाशि जमा करने के पश्चात् जमानत व सर्विस लाइन चार्ज के रूप की रसीद साथ लायें।  
आपके कनेक्शन की बिजली तभी दी जाएगी जब आपका वायरिंग पूरा होगा और बी.एल. फार्म और मोटर डिवेलोपेशन फार्म (मोटर मुआवजे के ट्रेजरी चालान सहित) अधिशाषी अभियन्ता/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के पास जमा कर दें तथा उसकी रसीद प्राप्त कर लें।  
यदि आप उपरोक्त शर्त इस पत्र के पाने के 30 दिन बाद तक पूरा नहीं करते हैं तो समझा जाएगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं है और जमानत का ₹ 25.00 भी जब्त हो जाएगा।
- आपको अपने अधिष्ठान पर 750/1000 RPM की मोटर के लिए .As Per Size KVAR का एल.टी. कैपेसिटर लगाना पड़ेगा।
- आवेदक द्वारा आरमर्ड केबिल 2x6 mm<sup>2</sup> देय होगा जिसके माध्यम से ही संयोजन के ऊर्जाकरण कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अवर अभियन्ता की होगी।

अधिशाषी अभियन्ता

पत्रांक /वि0वि0ख0हं0प्र0/ तददिनांक : /2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड-हण्डिया, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि टी0सी0 के उपरोक्त प्राविधानों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।
- क्षेत्र विकास अधिकारी।
- सम्बन्धित अवर अभियन्ता 33/11 केवी0 विद्युत उपकेन्द्र-बरौत, प्रयागराज।
- एग्रीमेंट क्लर्क।

अधिशाषी अभियन्ता